भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2449

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्व-सर्वेक्षण

2449. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए स्व-सर्वेक्षण की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत दो करोड़ आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है:

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए; और

(घ) क्या सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत प्रारंभिक लक्ष्य 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 अतिरिक्त वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने हेतु आवास+ सूची को अद्यतन करने के लिए

भी स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में योजना के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है जिसे दिनांक 17.09.2024 को शुरू किया गया है। इस ऐप में स्वयं सर्वेक्षण करने और पूर्व पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करके सर्वेक्षण करने संबंधी दोनों प्रावधान उपलब्ध है।

(घ): पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं को जागरूक करने के लिए अभिविन्यास कार्यशालाएं की जा रही हैं और अभी तक पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित करने वाले 26 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आवास+ 2024 मोबाइल ऐप की कार्यक्षमता और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है।

*****